



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 121]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2015/चैत्र 19, 1937

No. 121]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2015/CHAITRA 19, 1937

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

दूरसंचार टैरिफ (साठवाँ संशोधन) आदेश, 2015

(2015 का 03)

**सं. 301-16 / 2014-एफएण्डईए.**—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी) उप-खण्ड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः—

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (साठवाँ संशोधन) आदेश, 2015 (2015 का 3) कहा जाएगा।  
(2) यह आदेश, 01 मई, 2015 से प्रवृत्त होगा।
2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (जिसे आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड-2 में उप-खंड (एलवी) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—

“एलसी.” “स्पेशल रोमिंग टैरिफ प्लान” या “एसआरटीपी” का अभिप्राय एक ऐसे टैरिफ प्लान से है, जिसमें फिक्स्ड प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉलें मुक्त हैं।”;

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड-6 में उप-खंड (एक्स) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः—  
(एक्स) “प्रत्येक सेवा प्रदाता अपने प्रीपेड एवं पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए एक स्पेशल रोमिंग टैरिफ प्लान की पेशकश करेगा।”;
4. मूल टैरिफ आदेश की अनुसूची-II की मद (14) के उप-मदों (14क) तथा उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मदों एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—

## " अनुसूची-II

सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवाएं (सीएमटीएस)

मद	टैरिफ
" (14.क) राष्ट्रीय रोमिंग	
(14.क. i) राष्ट्रीय रोमिंग के लिए फिक्स्ड प्रभार	शून्य बशर्ते कि विशेष टैरिफ वाउचर एवं कॉम्बो वाउचर की अनुमति होगी तथा एसआरटीपी की स्थिति में, फिक्स्ड प्रभार आरथगित (फॉर्बर्न्स) के तहत होगा।
(14.क-ii) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लोकल वॉयस कॉल के लिए प्रभार	0.80/- रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा
(14.क-iii) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लंबी दूरी (अंतर-सर्कल) वॉयस कॉल के लिए प्रभार	1.15/- रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा
(14.क-iv) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए प्रभार	0.45/- रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा
(14.क.v) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लोकल लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के लिए प्रभार	0.25/- रुपए प्रति एसएमएस की उच्चतम सीमा
(14.क-vi) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लंबी दूरी (अंतर-सर्कल) लघु संदेश सेवाओं के लिए प्रभार	0.38/- रुपए प्रति एसएमएस की उच्चतम सीमा
(14.क-vii) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के लिए प्रभार	शून्य
(14.क-viii) राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान अधिभार	शून्य
(14.क-ix) अंतरराष्ट्रीय रोमिंग	आरथगित (फॉर्बर्न्स)
(14.क-g)	आरथगित (फॉर्बर्न्स)'.
ऊपर उप-मद (14.क) एवं (14.क-ix) के अंतर्गत न आने वाली परन्तु रोमिंग से संबंधित अन्य कोई भी मद।	

मारुति प्र. तन्निराला, सलाहकार (एफएण्डईए)-I

[विज्ञापन-III/4/असा./142/15]

**टिप्पणी 1—दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गए:—**

संशोधन संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख
पहला	301-4 / 99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301-4 / 99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301-4 / 99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301-4 / 99-ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999

5वां	301-4 / 99—द्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301-4 / 99—द्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301-8 / 2000—द्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301-8 / 2000—द्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301-8 / 2000—द्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306-1 / 99—द्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310-1(5) / द्राई—2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301-9 / 2000—द्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303-4 / द्राई—2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306-2 / द्राई—2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310-1(5) / द्राई—2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310-5(17) / 2001—द्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301 / 2 / 2002—द्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303 / 3 / 2002—द्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303 / 3 / 2002—द्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312-7 / 2001—द्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301-6 / 2002—द्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312-5 / 2002—द्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002
23वां	303 / 8 / 2002—द्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306-2 / 2003—आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306-2 / 2003—आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306-2 / 2003—आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303 / 6 / 2003—द्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301-51 / 2003—आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301-56 / 2003—आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301-4 / 2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301-2 / 2004—आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301-37 / 2004—आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301-31 / 2004—आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310-3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310-3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312-7 / 2003—आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312-7 / 2003—आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312-7 / 2003—आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310-3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310-3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310-3(1) / 2003—आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301-34 / 2005—आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301-2 / 2006—आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301-34 / 2006—आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301-18 / 2007—आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301-36 / 2007—आर्थिक दिनांक 24.1.2008

47वां	301–14 / 2008—आर्थिक दिनांक 17.3.2008
48वां	301–31 / 2007—आर्थिक दिनांक 01.9.2008
49वां	301–25 / 2009—ईआर दिनांक 20.11.2009
50वां	301–24 / 2012—ईआर दिनांक 19.04.2012
51वां	301–26 / 2011—ईआर दिनांक 20.04.2012
52वां	301–41 / 2012—एफएण्डईए दिनांक 19.09.2012
53वां	301–39 / 2012—एफएण्डईए दिनांक 01.10.2012
54वां	301–59 / 2012—एफएण्डईए दिनांक 05.11.2012
55वां	301–10 / 2012—एफएण्डईए दिनांक 17.06.2013
56वां	301–26 / 2012—ईआर दिनांक 26.11.2013
57वां	312–2 / 2013—एफएण्डईए दिनांक 14.07.2014
58वां	312–2 / 2013—एफएण्डईए दिनांक 01.08.2014
59वां	310–5(2) / 2013—एफएण्डईए दिनांक 21.11.2014

**टिप्पणी 2 –व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ ( साठवाँ संशोधन) आदेश, 2015 के लिए उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।**

#### व्याख्यात्मक ज्ञापन

- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एकट, 1997 का अनुमान 11(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इससे आगे प्राधिकरण कहा गया है) को सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ अधिसूचित करता रहा है।
- दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 (जिसे इससे आगे टीटीओ, 1999 कहा गया है) एवं उसके तदन्तर संशोधनों की अनुसूची-II के मद 14(क) के अंतर्गत प्राधिकरण के द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के टैरिफ को निर्धारित अधिकतम टैरिफ के रूप में विनियमित किया जाता रहा है। हाल ही में, दूरसंचार टैरिफ (पचपनवाँ संशोधन) आदेश, 2013 दिनांक 17.06.2013 (जिसे इससे आगे टीटीओ (पचपनवाँ संशोधन), 2013 कहा गया है) के द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए टैरिफ संरचना (रिजीम) में संशोधन किया गया।
- टीटीओ (पचपनवाँ संशोधन), 2013 के द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ प्रणाली निरूपित करते समय प्राधिकरण ने इंगित किया था कि नई टैरिफ संरचना, प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष की समीक्षा के अधीन है। आगे, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी)-2012 में 'एक राष्ट्र-निःशुल्क रोमिंग के लिए काम करना' एक उद्देश्य है। इस पृष्ठभूमि में प्राधिकरण ने दिनांक 27.02.2015 को ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (साठवाँ संशोधन) आदेश, 2015 (जिसे आगे ड्राफ्ट टीटीओ (साठवाँ संशोधन), 2015 कहा गया है) हितधारकों की टिप्पणियों हेतु जारी किया, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान वॉयस कॉलों तथा एसएमएस के लिए निम्नलिखित अधिकतम (सीलिंग) टैरिफ का निर्धारण प्रस्तावित किया गया।

#### तालिका-1: ड्राफ्ट टीटीओ (साठवाँ संशोधन), 2015 में राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए प्रस्तावित अधिकतम टैरिफ

मद	प्रस्तावित टैरिफ
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लोकल वॉयस कॉल के लिए प्रभार	0.65 / –रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लंबी दूरी (अंतर-सर्कल) वॉयस कॉल के लिए प्रभार	1.00 / –रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए प्रभार	0.45 / –रुपए प्रति मिनट की उच्चतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के लिए प्रभार	0.20 / –रुपए प्रति एसएमएस की उच्चतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लंबी दूरी (अंतर-सर्कल) लघु संदेश सेवाओं के लिए प्रभार	0.25 / –रुपए प्रति एसएमएस की उच्चतम सीमा

- ड्राफ्ट टीटीओ (साठवाँ संशोधन), 2015 पर हितधारकों को दिनांक 13.03.2015 तक अपनी टिप्पणियाँ देनी थी। प्रतिउत्तर में, एक उदयोग संघ, सात दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), एक संगठन एवं दो व्यक्तियों ने अपनी टिप्पणियाँ दीं। कई हितधारकों ने कहा कि ड्राफ्ट टीटीओ (साठवाँ संशोधन), 2015 में प्रस्तावित अधिकतम टैरिफों को लागू करने से रोमिंग टैरिफ की तुलना में घरेलू टैरिफ अधिक हो जायेगे जिसके कारण बाजार में असंतुलन पैदा हो जायेगा। कुछ हितधारकों का कहना है कि ऑरिजिनेशन प्रभार को आस्थगित रखा गया है और ऑरिजिनेशन प्रभार को विनियमित करने से उदयोगों के एक प्रमुख आय-स्रोत से संबंधित वह लचीलापन समाप्त हो जायेगा जिससे अभी तक भारतीय दूरसंचार के बाजार में नवोन्मेश एवं सामर्थ्य (एफोर्डिबिलिटी) को बढ़ावा मिलता रहा है। कुछ हितधारकों ने कहा है कि चूंकि देश में थोक राष्ट्रीय रोमिंग टैरिफ को विनियमित नहीं किया जा रहा है, ऐसे में खुदरा राष्ट्रीय

रोमिंग टैरिफ़ को कम करने से देश के छोटे एवं क्षेत्रीय एक्सेस सेवा प्रदाताओं पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा का स्तर बिगड़ सकता है।

5. ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश में थोक रोमिंग टैरिफ़ को विनियमित नहीं किया जा रहा है। एकीकृत लाइसेंस के अनुसार, लाइसेंसधारक राष्ट्रीय रोमिंग सुविधाओं के लिए आपसी व्यवसायिक करार कर सकते हैं।
6. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों एवं विशेषकर छोटे एवं क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने ड्राफ्ट टीटीओ (साठवाँ संशोधन), 2015 के माध्यम से प्रस्तावित आउटगोइंग वॉयस कॉलों तथा एसएमएस के लिए अधिकतम टैरिफ़ पर मार्क-अप देने का निर्णय लिया। प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसा करने से, थोक राष्ट्रीय रोमिंग शुल्क इस प्रकार संयोजित हो जायेंगे कि वह राष्ट्रीय रोमिंग की अधिकतम टैरिफ़ की तुलना में कम रहे। निम्नलिखित तालिका टीटीओ, 1999 में इस संशोधन के द्वारा निर्धारित किये गये राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के अधिकतम टैरिफ़ के विवरण को चिह्नित करती है।

**तालिका-2: टीटीओ, 1999 के इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए संशोधित अधिकतम टैरिफ़**

मद	टैरिफ़
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लोकल वॉयस कॉल के लिए प्रभार	0.80 /—रुपए प्रति मिनट की अधिकतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लंबी दूरी (अंतर—सर्कल) वॉयस कॉल के लिए प्रभार	1.15 /—रुपए प्रति मिनट की अधिकतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉल के लिए प्रभार	0.45 /—रुपए प्रति मिनट की अधिकतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लोकल लघु संदेश सेवाओं (एसएमएस) के लिए प्रभार	0.25 /—रुपए प्रति एसएमएस की अधिकतम सीमा
राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग लंबी दूरी (अंतर—सर्कल) लघु संदेश सेवाओं के लिए प्रभार	0.38 /—रुपए प्रति एसएमएस की अधिकतम सीमा

7. आउटगोइंग वॉयस कॉलों के मामले में, 15 पैसे प्रति मिनट का मार्क-अप (ड्राफ्ट टीटीओ (साठवाँ संशोधन), 2015 में प्रस्तावित अधिकतम टैरिफ़ पर) दिया गया है। आउटगोइंग एसएमएस के लिए अधिकतम टैरिफ़ हेतु प्रत्येक मामले में निवर्तमान अधिकतम टैरिफ़ [टीटीओ (पचपनवां संशोधन), 2013 के द्वारा निर्धारित] पर 75 प्रतिशत की कमी करते हुए मार्क-अप पर पहुँचा गया है।
8. प्राधिकरण द्वारा टीटीओ (पचपनवां संशोधन), 2013 के माध्यम से अनिवार्य (मैन्डेट) किये गये रोमिंग टैरिफ़ प्लान (आरटीपी) एवं रोमिंग टैरिफ़ प्लान—एफआर (आरटीपी—एफआर) की उपयुक्तता का भी परीक्षण किया गया। आरटीपी में, देश के अंदर उपभोक्ता के जगह—परिवर्तन के साथ उनकी आउटगोइंग वॉयस कॉलों एवं आउटगोइंग एसएमएस, लोकल एवं लंबी दूरी (अंतर—सर्कल) दोनों प्रकार के टैरिफ़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आरटीपी—एफआर, एक विशेष प्रकार का आरटीपी है जिसमें सेवा प्रदाताओं के द्वारा निर्धारित किये गये फिक्स्ड प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉल निःशुल्क होती है। बांबार रोमिंग करने वालों की यथोचित (रीजनेबल) रोमिंग टैरिफ़ की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, टीटीओ (पचपनवां संशोधन), 2013 के माध्यम से इन टैरिफ़ प्लानों को अनिवार्य किया गया था।
9. आगे, प्राधिकरण का यह मानना है कि चूंकि टीटीओ, 1999 के इस संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग वॉयस कॉलों एवं एसएमएस के अधिकतम टैरिफ़ को यथोचित स्तर तक कम कर दिया गया है, ऐसे टैरिफ़ प्लानों की जिनमें घरेलू टैरिफ़ एवं रोमिंग टैरिफ़ समान होते हैं, की आवश्यकता नहीं रह गयी है। तदनुसार, प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के द्वारा प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में अपने प्रीपेड एवं पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए दिये जाने वाले आरटीपी एवं आरटीपी—एफआर प्लानों की विद्यमान अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तथापि, सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार टैरिफ़ (तैतालिसवां संशोधन), 2006 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त टैरिफ़ प्लानों के अंगतंत शूचीबद्ध) हो चुके सभी उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ़ का संरक्षण सुनिश्चित करना होगा।
10. आगे, प्राधिकरण का यह मत है कि अभी भी एक ऐसे टैरिफ़ प्लान की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉलों पर कोई प्रभार देय नहीं होगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के द्वारा प्रत्येक लाइसेंस सेवा क्षेत्र में अपने प्रीपेड एवं पोस्टपेड उपभोक्ताओं के लिए एक 'स्पेशल रोमिंग टैरिफ़ प्लान' (एसआरटीपी) की पेशकश करना अनिवार्य

होगा, जिसमें सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित किये गये फिक्स्ड प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान इनकमिंग वॉयस कॉल निःशुल्क होंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एसआरटीपी में भी राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान आउटगोइंग वॉयस कॉलों एवं एसएमएस का टैरिफ टीटीओ, 1999 के इस संशोधन के द्वारा निर्धारित अधिकतम टैरिफ के अंदर ही होगा।

11. राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए संशोधित टैरिफ की संरचना दिनांक 01 मई, 2015 से प्रवृत्त होगी। प्राधिकरण इस टैरिफ संरचना के कार्यान्वयन एवं विशेषकर प्रतियोगिता और उपभोक्ता के हितों पर इसके प्रभाव की निकटता से निगरानी करेगा।

## TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2015

#### THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTIETH AMENDMENT) ORDER, 2015

No. 3 of 2015

**No. 301-16/2014-F&EA.**—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997(24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:-

**1.** (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixtieth Amendment) Order, 2015 (3 of 2015).

(2) This Order shall come into force on the 1<sup>st</sup> May, 2015.

**2.** In clause 2 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the principal tariff order), after sub-clause (lb), the following sub-clause shall be inserted namely:-

“lc. “Special Roaming Tariff Plan” or “SRTP” means a tariff plan in which, on payment of fixed charge, if any, the incoming voice call while on national roaming is free.”;

**3.** In clause 6 of the principal tariff order, for sub-clause (x), the following sub-clause shall be substituted, namely:

“(x) Every service provider shall offer a Special Roaming Tariff Plan to its pre-paid and post-paid subscribers.”;

**4.** In the Schedule II to the principal tariff order, under item (14), for sub-items (14.a) and entries thereto, the following sub-items and entries relating thereto shall be substituted, namely:--

### Schedule-II

#### Cellular Mobile Telecom Services (CMTS)

ITEM	TARIFF
“(14.a) National roaming	
(14.a.i) Fixed charge for national roaming	Nil provided that Special Tariff Voucher and Combo Voucher shall be permitted and in case of SRTP, the fixed charge shall be under forbearance.
(14.a.ii) Charge for outgoing local voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 0.80 per minute
(14.a.iii) Charge for outgoing long distance (inter-circle) voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 1.15 per minute
(14.a.iv) Charge for incoming voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 0.45 per minute
(14.a.v) Charge for outgoing local Short Message Services (SMS) while on national roaming	Ceiling of Re. 0.25 per SMS

(14.a.vi) Charge for outgoing long distance (inter-circle) Short Message Services (SMS) while on national roaming	Ceiling of Rs. 0.38 per SMS
(14.a.vii) Charge for incoming Short Message Services (SMS) while on national roaming	Nil
(14.a.viii) Surcharge while national roaming	Nil
(14.ab) International roaming	Forbearance
(14.ac) Any other item related to roaming but not falling under sub-item (14.a) and (14.ab) above	Forbearance.”.

MARUTHI P. TANGIRALA, Advisor (F&EA)-I

[ADVT.-III/4/Exty./142/15]

**Note.1.** – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 09.03.1999, and subsequently amended as given below:—

<u>Amendment No.</u>	<u>Notification No. and Date</u>
1 <sup>st</sup>	301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999
2 <sup>nd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
3 <sup>rd</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999
4 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999
5 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999
6 <sup>th</sup>	301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999
7 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000
8 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000
9 <sup>th</sup>	301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000
10 <sup>th</sup>	306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000
11 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001
12 <sup>th</sup>	301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001
13 <sup>th</sup>	303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001
14 <sup>th</sup>	306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001
15 <sup>th</sup>	310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001
16 <sup>th</sup>	310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001

17 <sup>th</sup>	301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002
18 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002
19 <sup>th</sup>	303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002
20 <sup>th</sup>	312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002
21 <sup>st</sup>	301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002
22 <sup>nd</sup>	312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002
23 <sup>rd</sup>	303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002
24 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 24.1.2003
25 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 12.3.2003
26 <sup>th</sup>	306-2/2003-Econ dated 27.3.2003
27 <sup>th</sup>	303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003
28 <sup>th</sup>	301-51/2003-Econ dated 5.11.2003
29 <sup>th</sup>	301-56/2003-Econ dated 3.12.2003
30 <sup>th</sup>	301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004
31 <sup>st</sup>	301-2/2004-Eco dated 7.7.2004
32 <sup>nd</sup>	301-37/2004-Eco dated 7.10.2004
33 <sup>rd</sup>	301-31/2004-Eco dated 8.12.2004
34 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005
35 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005
36 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 21.4.2005
37 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.5.2005
38 <sup>th</sup>	312-7/2003-Eco dated 2.6.2005
39 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005
40 <sup>th</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005
41 <sup>st</sup>	310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005
42 <sup>nd</sup>	301-34/2005-Eco dated 7.3.2006
43 <sup>rd</sup>	301-2/2006-Eco dated 21.3.2006
44 <sup>th</sup>	301-34/2006-Eco dated 24.1.2007

45 <sup>th</sup>	301-18/2007-Eco dated 5.6.2007
46 <sup>th</sup>	301-36/2007-Eco dated 24.1.2008
47 <sup>th</sup>	301-14/2008-Eco dated 17.3.2008
48 <sup>th</sup>	301-31/2007-Eco dated 1.9.2008
49 <sup>th</sup>	301-25/2009-ER dated 20.11.2009
50 <sup>th</sup>	301-24/2012-ER dated 19.4.2012
51 <sup>st</sup>	301-26/2011-ER dated 19.4.2012
52 <sup>nd</sup>	301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012
53 <sup>rd</sup>	301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012
54 <sup>th</sup>	301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012
55 <sup>th</sup>	301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013
56 <sup>th</sup>	301-26/2012-ER dated 26.11.2013
57 <sup>th</sup>	312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014
58 <sup>th</sup>	312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014
59 <sup>th</sup>	310-5(2)/2013-F&EA dated 21.11.2014

**Note. 2.**—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Sixtieth Amendment) Order, 2015.

### **Explanatory Memorandum**

1. Section 11(2) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 empowers the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) to notify rates for various telecommunication services. In exercise of these powers, the Authority has been notifying tariffs for telecommunication services including national roaming services.
2. The tariffs for national roaming services have been regulated in the form of ceiling tariffs prescribed by the Authority under item 14(a) of Schedule II of the Telecommunication Tariff Order 1999 (hereinafter referred to as the TTO, 1999) as amended from time to time. The most recent amendment in the tariff regime for national roaming services was carried out through the Telecommunication Tariff (Fifty Fifth Amendment) Order, 2013 dated 17.06.2013 [hereinafter referred to as the TTO (55<sup>th</sup> Amendment), 2013].
3. While formulating the revised tariff regime for national roaming services through the TTO (55<sup>th</sup> Amendment), 2013, the Authority had indicated that the new tariff regime will be subject to review by the Authority after a year. Further, one of the objectives of National Telecom Policy (NTP) 2012 is to work towards One Nation - Free Roaming. In this backdrop, the Authority issued a Draft Telecommunication Tariff (60<sup>th</sup> Amendment) Order, 2015 on 27.02.2015 (hereinafter referred to as the Draft TTO (60<sup>th</sup> Amendment), 2015), through which the following ceiling tariffs for voice calls and SMS while on national roaming were proposed for comments of the stakeholders.

**Table-1: Ceiling tariffs for national roaming services proposed through the Draft TTO (60<sup>th</sup> Amendment), 2015**

Item	Proposed Tariff
Charges for outgoing local voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 0.65 per minute
Charges for outgoing long distance (inter-circle) voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 1.00 per minute
Charges for incoming voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 0.45 per minute
Charges for outgoing local Short Message Services (SMS) while on national roaming	Ceiling of Re. 0.20 per SMS
Charges for outgoing long distance (inter-circle) Short Message Services (SMS) while on national roaming	Ceiling of Re. 0.25 per SMS

4. The stakeholders had to furnish their comments on the Draft TTO (60<sup>th</sup> Amendment), 2015 by 13.03.2015. In response, one industry association, seven telecom service providers (TSPs), one organization and two individuals furnished their comments. Many stakeholders submitted that in case the ceiling tariffs as proposed in the Draft TTO (60<sup>th</sup> amendment), 2015 are implemented, the home tariffs would become higher than the roaming tariffs, which would result in market distortions. A few stakeholders contended that origination charges have been under forbearance and a transition to the prescribed origination charges regime would deprive the industry of the flexibility with respect to a major source of revenue that has hitherto led to increased innovation and affordability in the Indian telecom market. Some stakeholders argued that since wholesale national roaming charges are not being regulated in the country, reduction of retail national roaming tariffs would adversely impact the small and regional access providers in the country to the extent of jeopardizing the level playing field.
5. It is worth pointing out that the wholesale roaming charges are not being regulated in the country. As per the Unified License, licensees may enter into mutual commercial agreements for national roaming facilities.
6. In view of the comments of the stakeholders and the competitive position of the small and regional players in particular, the Authority has decided to allow a mark-up on the ceiling tariffs for outgoing voice calls and SMS which were proposed through the Draft TTO (60<sup>th</sup> amendment), 2015. The Authority is of the opinion that the wholesale national roaming charges would thereby undergo adjustments such that these remain lower than the ceiling tariffs for national roaming. The following table depicts the ceiling tariffs for national roaming service prescribed through this amendment to the TTO, 1999.

**Table-2: Revised ceiling tariffs for national roaming services through this amendment to the TTO, 1999**

Item	Tariff
Charges for outgoing local voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 0.80 per minute
Charges for outgoing long distance (inter-circle) voice call while on national roaming	Ceiling of Rs. 1.15 per minute
Charges for incoming voice call while on national roaming	Ceiling of Re. 0.45 per minute

Charges for outgoing local Short Message Services (SMS) while on national roaming	Ceiling of Re. 0.25 per SMS
Charges for outgoing long distance (inter-circle) Short Message Services (SMS) while on national roaming	Ceiling of Re. 0.38 per SMS

7. In the case of outgoing voice calls, a mark-up of 15 paisa per minute (over the ceiling tariff proposed in the Draft TTO (60<sup>th</sup> Amendment), 2015) has been provided. The mark-up in the case of ceiling tariffs for outgoing SMS has been arrived at by decrementing the existing ceiling tariffs (prescribed in the TTO (55<sup>th</sup> Amendment), 2013) in each case by 75% (and rounding off to the next higher paisa in the case of long distance (inter-circle) SMS).
8. The Authority also examined the appropriateness of the Roaming Tariff Plan (RTP) and Roaming Tariff Plan-FR (RTP-FR) which were mandated through the TTO (55<sup>th</sup> Amendment), 2013. In RTP, charges for outgoing voice calls and outgoing SMS, both local as well as long distance (inter-circle), do not change with the location of the subscriber within the country. RTP-FR is a special type of RTP, in which there is no charge for incoming voice calls while on national roaming, on payment of fixed charge, if any, as may be determined by the service provider. These tariff plans were mandated through the TTO (55<sup>th</sup> Amendment), 2013 keeping in view the expectation of frequent roamers for reasonable roaming tariffs.
9. The Authority is of the opinion that since the ceiling tariffs for outgoing voice calls and SMS while on national roaming have been reduced to reasonable levels through this amendment to the TTO, 1999, the need for mandating separate tariff plans, in which roam tariffs are equal to home tariffs, no longer exists. Accordingly, the Authority has decided to remove the existing mandate to the TSPs for providing RTP and RTP-FR to their pre-paid and post-paid subscribers in each licensed service area (LSA). However, the TSPs would have to ensure the tariff protection to the existing subscribers enrolled in such tariff plans as per the provisions of the Telecommunication Tariff (43<sup>rd</sup> Amendment) Order, 2006.
10. Further, the Authority is of the view that a tariff plan in which there is no charge for incoming voice calls while on national roaming would still be required. Accordingly, the Authority has decided to mandate the TSPs to offer a Special Roaming Tariff Plan (SRTP), to their pre-paid and post-paid subscribers in each LSA. In SRTP, the incoming voice calls while on national roaming would be free of charge, on payment of fixed charge, if any, as determined by the TSP. Needless to say, the national roaming tariffs for outgoing voice calls and SMS in SRTP also would be within the ceiling tariffs prescribed through this amendment to the TTO, 1999.
11. The revised tariff regime for national roaming service shall come into force on the 1<sup>st</sup> May, 2015. The Authority will closely monitor the implementation of the regime and, in particular, its impact on competition and consumer interests.